न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **81/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/158

1. अकरम हुसैन पुत्र अब्दुल अजीज मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) .....वादी

बनाम

1. शाहरूख खान पुत्र स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. फारूख खान पुत्र स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मुस्कान बानू पुत्री स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. सलमा बानू पत्नी स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी मावली. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी।
2. राजपैरोकार मावली।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 26.05.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 448, 452 किता 2 कुल रकबा 0.7851 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जनबनिशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी फकीर (मुसलमान) के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में खातेदार जनबनिशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी के नाम अंकित कुलिया भूमि पूर्व में मुझ वादी के नानाजी श्री मोहम्मद सफी पिता खाजू खां मुसलमान निवासी मावली गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी तथा मेरे नानाजी मोहम्मद सफी एवं नानीजी नजीरन दोनों के कोई पुत्र संतान नही थी, केवल एक पुत्री जनब निशा उर्फ काली थी जो मुझ वादी की माता हैं। मेरे नानाजी एवं नानीजी अपनी वृद्धावस्था में मुझ वादी एवं मेरे छोटे भाई मुजीब रहमान के साथ ही रहते थे और हम दोनों भाईयों द्वारा ही उनकी सेवा सृश्रुषा, देखभाल इत्यादि समय–समय पर की जाती रही और उनका भरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

पोषण भी हमारे द्वारा ही किया गया जिससे प्रसन्न होकर हमारे नानाजी एवं नानीजी ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति जिसमें उक्त वर्णित कृषि भूमि भी सम्मिलित थी, का मुझ वादी एवं मेरे छोटे भाई मुजीब रहमान के पक्ष में एक वसीयत पत्र दिनांक 02–06–1999 को लिखा अपने हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशानी कर एवं गवाहो की साखे लगवाकर वसीयत पत्र का पंजीयन उपं पंजीयक मावली में करा दिया।

2. यह कि मुझ वादी एवं मेरे छोटे भाई मुजीब रहमान हमारे नानाजी एवं नानीजी की अंतिम सांस तक सेवा चाकरी एवं भरण पोषण करते रहे तथा दिनांक 05–03–2002 को हमारी नानी श्रीमती नजीरन बानु एवं दिनांक 16–04–2002 को हमारे नानाजी मोहम्मद सफी का इन्तकाल हो गया। हमारे नानाजी एवं नानीजी का इन्तकाल होने के बाद भी उनके सभी क्रियाकर्म एवं सामाजिक कार्यक्रम हमारे द्वारा ही सम्पन्न किये गये। हमारे नानाजी मोहम्मद सफी एवं नानी श्रीमती नजीरन बानु के इन्तकाल के बाद से वसीयत में वर्णितानुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि एवं अन्य समस्त चल अचल सम्पत्तियों पर मैं वादी एवं मुजीब रहमान काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये। मुजीब रहमान की दिनांक 13.11.2024 को मृत्यु होने के बाद उसके हक हिस्से की भूमियां उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के कब्जे उपभोग में चली आ रही हैं तथा मैं वादी मेरे नाना–नानी से वसीयत के जरिए प्राप्त हुए अपने हक हिस्से की भूमियों पर एवं अन्य चल अचल सम्पत्ति निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा हूँ जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है।

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि जो मेरे नानाजी के हिस्सेनुसार खातेदारी हक की थी उसकी उन्होने अपने जीवनकाल में ही मुझ वादी एवं मुजीब रहमान के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी थी जिससे हम उपरोक्त कृषि भूमि के एकमात्र मालिक व स्वामी हूँ तथा उसपर काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे नाना–नानी के मरने के पश्चात् वसीयत के जरिए उनकी उक्त भूमियां हमारे नाम पर दर्ज कराने की जानकारी हमें नही थी जिस वजह से उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज नही हो सकी और रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा साधारण रूप में हमारे नाना के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विरासत से उनकी पुत्री अर्थात हमारी माता जनब निशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी फकीर मुसलमान के नाम दर्ज कर दी जिससे उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में हमारी माता के नाम दर्ज चली आ रही है जबकि हमारी माता का हमें वसीयत से प्राप्त हुई कृषि भूमियों से कोई सरोकार नही था। हमारी माता जेनब निशा उर्फ काली की मृत्यु दिनांक 13.12.2024 को हो चुकी हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में मैं वादी मेरे नानाजी से वसीयत के जरिए प्राप्त हुए हक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

करता आ रहा हूँ तथा मुझ वादी को वसीयत के जरिए भूमि हमारे नाम पर दर्ज कराने की जानकारी होने पर मैं वादी दिनांक 07.03.2025 को उक्त जमीन वसीयत अनुसार वादी एवं मेरे भाई मुजीब रहमान के नाम पर अंकित कराने हेतु पटवारीजी के पास गया तो पटवारीजी ने उक्त भूमि वसीयत अनुसार हमारे नाम पर अंकित करने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट से आदेश लाओगें तभी वसीयत के अनुसार जमीन तुम्हारे नाम पर अंकित होगी। इसलिये उक्त भूमि को वसीयत के अनुसार मुझ वादी एवं मुजीब रहमान के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर खातेदारी हक की घोषित कराने हेतु उक्त वाद पत्र आप न्यायालय में पेश है।

5. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमियों में मुझ वादी एवं मेरे भाई मुजीब रहमान को हमारे नानाजी से वसीयत में प्राप्त हुआ हक हिस्सा वसीयत से हमारे नाम दर्ज नही होने से हमें काफी असुविधा हो रही है और हम हमारी भूमियों का उचित ढंग से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमें उक्त भूमियां वसीयत में प्राप्त होने के बाद मुझ वादी ने अपने हिस्से की भूमियों पर फर्दन–फर्दन लाखों रूपयों की लागत लगाई और परिवार सहित सख्त परिश्रम कर कुलिया भूमियों विकसित कर आवादान की है और आज भी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ इसलिये मैं वादी वाद पत्र कलम संख्या एक में वर्णित कृ षि भूमि में खातेदार जनब निशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी मुसलमान के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा का आधा हिस्सा मुझ वादी एवं आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर खातेदारी हक का घोषित करा राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूँ ।

6. यह कि मुझ वादी को वाद कारण दिनांक 07–03–2025 को उत्पन्न हुआ जब पटवारीजी को भूमि वसीयत अनुसार हमारे नाम पर दर्ज करने हेतु कहा तो पटवारीजी ने भूमि वसीयत अनुसार हमारे नाम पर दर्ज करने से मना कर कोर्ट में दावा करने हेतु कहा। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार जनबनिशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी मुसलमान के नाम दर्ज भूमि के 1/2 हिस्सा का मुझ वादी को एवं 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी मे हमारे नाम अंकन कराया जावें एवं खातेदार जनबनिशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी मुसलमान का नाम हटाया जावें। अन्य दादरसी वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 उपस्थित होकर वादी का वाद स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही होने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह पीडब्ल्यू 1 अकरम हुसैन पुत्र अब्दुल अजीज मोहम्मद का मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश दस्तावेजात मौजा मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 737 प्रदर्श 1, मुजीब रहमान के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 2, जेनबनिशा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 3, नजीरन बानु का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 4 एवं छायाप्रति पत्रावली प्रदर्श 4ए, मोहम्मद सफी का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 5 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 5 ए, रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 02.06.99 असल प्रदर्श 6 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 6 ए पेश किये। साक्ष्यवादी गवाह पीडब्ल्यू 2 नूर मोहम्मद पिता नन्हे खां निवासी मावली, गवाह पीडब्ल्यू 3 शाहरूख खान पुत्र स्व. मुजीब रहमान के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र पेश किए गए।

9. हमने अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी। अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली के तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 737 पर दर्ज आराजी नम्बर 448, 452 किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि मोहम्मद सफी पिता खाजू खां फकीर मुसलमान के नाम दर्ज थी। उक्त जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 3905 किता 05.07.2016 जरिये विरासत मोहम्मद सफी पिता खाजू खां की बजाय जेनब नीशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी के नाम दर्ज हुई। वादी के कथनानुसार मोहम्मद सफी पिता खाजू खां वादी के नानाजी थे। इनके कोई पुत्र संतान नही थी केवल मात्र एक पुत्री वादी की माता जेनब नीशा उर्फ काली थी। वादी के नानाजी के कोई पुत्र संतान नही होने से वादी एवं वादी के भाई मुजीब रहमान के साथ रहते थे। खातेदार/वादी के नानाजी मोहम्मद सफी एव नानीजी नजीरन पत्नी मोहम्मद शफी द्वारा प्रदर्श 6 ए रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.06.2099 को की गई। जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 448, 452 के संबंध में वसीयत वादी व वादी के भाई मुजीब रहमान के पक्ष में की गई एवं अन्य आराजीयात की वसीयत वादी की माता के पक्ष में की गई। प्रदर्श 4ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundadia
Date: 2025.08.22 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

एवं 5 ए मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयतकर्ता के है जिससे जाहीर होता है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। वसीयत कर्ता की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियो को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित नही कर वसीयतकर्ता की मृत्यु के लगभग 14 वर्ष बाद विरासत का नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र जनबनिशा है। जिससे जाहीर होता है कि वर्तमान खातेदार वादी की माता की मृत्यु हो गई। प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र मुजीब रहमान का है। जो वादी का भाई है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादी के नानाजी मोहम्मद सफी एव ंनानीजी नजीरन पत्नी मोहम्मद शफी द्वारा वादी एवं वादी के भाई के पक्ष में वसीयत कर देने से वसीयत कर्ता मोहम्मद सफी एवं नजीरन बानु की मृत्यु के पश्चात से ही वादी एवं वादी के भाई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खातेदार हो चुके थे। वादी के भाई की मृत्यु के पश्चात वादी के वारिसान प्रतिवादीगण खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित नही कर विरासत का नामान्तरकरण पारित करना राजस्व कर्मचारियो की भूल है। राजस्व कर्मचारियो को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 737 पर दर्ज आराजी नम्बर 448, 452 किता 2 कुल रकबा 0.7851 हैक्टयर भूमि जनबनिशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी के नाम दर्ज है, के बजाय वादी को 1/2 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. अकरम हुसैन पुत्र अब्दुल अजीज मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) .....वादी

बनाम

1. शाहरूख खान पुत्र स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. फारूख खान पुत्र स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मुस्कान बानू पुत्री स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मावली. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. सलमा बानू पत्नी स्व० मुजीब रहमान मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी मावली. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 81/25 (वाद) GCMS No. – 2025/158

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 737 पर दर्ज आराजी नम्बर 448, 452 किता 2 कुल रकबा 0.7851 हैक्टयर भूमि जनबनिशा उर्फ काली पुत्री मोहम्मद सफी के नाम दर्ज है, के बजाय वादी को 1/2 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested